# —: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 68/2015

**उनवान**

1. रामदेव पुत्र गीता दोहिता छीतर,
2. भैरू पुत्र गीता दोहिता छीतर
3. छोटी पुत्री गीता दोहिती छीतर,
4. भींया पति गीता जवाई छीतर जाति रावत नि0 नोलखा अजमेर

प्रार्थीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री नौरतमल जैन

**बनाम**

1. पांचू पुत्र छीतर,
2. गोगा पुत्र छीतर जाति रावत नि0 हाथीपट्टा, श्रीनगर, नसीराबाद मृतक जरियें वारिस

2/1. पूसी पत्नी गोगा
2/2. गोपाल पुत्र गोगा समस्त जाति रावत निवासी हाथीपटटा, नसीराबाद
2/3. कमला पुत्री गोगा पत्नी मोहन जाति रावत निवासी ग्राम खाजपुरा, अजमेर
2/4. विमला पुत्री गोगा पत्नी फूलचन्द जाति रावत निवासी माखुपुरा, अजमेर

3. स्टेट बैंक आफॅ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा श्रीनगर, नसीराबाद,
4. उप पंजीयक श्रीनगर, नसीराबाद,
5. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
6. विरेन्द्र सिंह पुत्र मंशा सिंह जाति रावत निवासी ग्राम हाथीपट्टा, नसीराबाद
7. अन्नी पत्नी हरि सिंह जाति रावत निवासी ग्राम हाथीपट्टा, नसीराबाद
8. महावीर सिंह पुत्र गोरधन सिंह जाति जाति रावत निवासी ग्राम हाथीपट्टा, नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 2 जरियें अधिवक्ता श्री मसूद परवेज
4 व 5 जरियें राज. पैरोकार, शेष अनुपस्थित

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

—: आदेश :— दिनांक :— 13.5.25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम हाथीपटटा में छीतर पुत्र हालू की खातेदारी आराजी स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

| चौसाला ख.न. | वंर्किग ख.न. | हाल ख.न. | रकबा |
|---|---|---|---|
| 15 | 16 मिन | 14<br>15 | 0.12<br>0.15 |
| 50 | 37 | | 0.21 |
| 73 | [illegible] मिन | [illegible] | 0.12<br>[illegible] |
| 105 | 141 | 169 | 0.04 |
| 198 | 257 मिन | 34[illegible]/1809 | 0.16 |

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:15:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 378 | 471 मिन | 598 / 1750 | 0.08 |
| 407 | 500<br>499 | 643 / 1836<br>645<br>646 | 0.09<br>0.25<br>0.25 |
| 378 | 471 | 651 | 0.24 |
| 419 | 512 | 659 | 0.12 |
| 379 | 472 मिन | 672<br>673 | 0.45<br>0.08 |
| 900 | 1141 मिन | 895 | 0.17 |
| 928 | 1134 मिन | 920 | 0.14 |
| 929 | 1133 | 921 | 0.15 |
| 794 | 992 मिन | 1049 | 0.11 |
| 819 | 993 | 1050 | 0.11 |
| 840 | 1025 | 1076 | 0.12 |
| 841<br>840 | 1031<br>1025 | 1083 | 0.05 |
| 771 | 929 मिन | 1124 | 0.05 |
| 772 | 929 मिन | 1125 | 0.04 |
| 901 | 1108 मिन | 1196<br>1197 | 0.13<br>0.17 |
| 900 | 1141 मिन | 1199<br>1201 | 0.10<br>0.05 |
| 1065 | 1323 मिन | 1452 | 0.43 |
| 1066 | 1323 मिन<br>1324 | 1453 मिन | 0.32 |
| 543 | 1244 | 1481 | 0.10 |
| 544 | 1243 | 1482 | 0.10 |

उपरोक्त आराजी 1349 फसली व चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2018 से 2021 अनुसार छीतर पुत्र हालू के नाम दर्ज है। जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा गीता पुत्री है। गीता का स्वर्गवास हो गया हे जिसके वारिस प्रार्थीगण ही है। किन्तु छीतर पुत्र हालू की मुत्यू के बाद आराजी मुतनाजा राजस्व अभिलेख में जरियें विरासत नामान्तकरण अप्रार्थी संख्याा 1 व 2 के नाम ही कर दी गयी। गीता पुत्र छीतर के नाम विरासत के समय नामान्तकरण दर्ज नही किया गया। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पुश्तैनी भूमि पर पुत्र व पुत्री का बराबर हक व अधिकार निहित है। आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण का भी 1/3 हिस्सा निहित है। आराजी मुतनाजा में से हाल खसरा नम्बर 122, 141 की भूमि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा विरेन्द्र सिंह के पक्ष में किये गये अवैधानिक बैननामा के आधार पर अन्नी के पक्ष में किया गया अवैधानिक बैनामा व नामान्तकरण संख्या 30 दिनांक 31.112.2016 जो वाद विचाराधीन रहते किया गया शून्य है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 340/1809 की आराजी अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा महावीर सिंह के पक्ष में विक्रय की गयी भी शून्य है। राजस्व अभिलेख में भूमि अप्रार्थीगण के नाम ही दर्ज होने के कारण अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे हे तथा [illegible] हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:15:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण की माता का 1/3 हिस्सा निहित है। प्रार्थीगण की माता गीता अप्रार्थी संख्या 1 की बहिन है। गीता के स्वर्गवास के बाद आराजी मुतनाजा पर अप्रार्थीगण का नाम दर्ज होना चाहिये।

अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का संयुक्त कब्जा काश्त है। प्रार्थी 1 से 3 की माता व प्रार्थी 4 की पत्नी गीता स्व. छीतर की पुत्री है। गीता का विवाह लगभग 50–60 वर्षो पूर्व हो गया है विवाह के बाद गीता अपने ससुराल में जीवनयापन करती थी। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीगण से मिलीभगत करके उक्त प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत करवाया है। गीमा अपने हिसे का मौखिक त्याग कर चुकी है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

प्रकरण विचारण के दौरान आराजी मुतनजा में से कुछ आराजी का बैचान होने के कारण क्रेतागण को अप्रार्थी संख्या 6 से 8 के रूप में संयोजित किया गया। अप्रार्थी संख्या 6 से 8 प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

**प्रथम दृष्टया मामला :–**

प्रार्थीगण का कथन हे कि छीतर पुत्र हालू के नाम दर्ज है। जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा गीता पुत्री है। गीता का स्वर्गवास हो गया हे जिसके वारिस प्रार्थीगण ही है। किन्तु छीतर पुत्र हालू की मुत्यू के बाद आराजी मुतनाजा राजस्व अभिलेख में जरियें विरासत नामान्तकरण अप्रार्थी संख्याा 1 व 2 के नाम ही कर दी गयी। गीता पुत्र छीतर के नाम विरासत के समय नामान्तकरण दर्ज नही किया गया। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पुश्तैनी भूमि पर पुत्र व पुत्री का बराबर हक व अधिकार निहित है। आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण का भी 1/3 हिस्सा निहित है। जबकि अप्रार्थी संख्या 2 का कथन है कि आराजी मुतनाजा पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का संयुक्त कब्जा काश्त है। प्रार्थी 1 से 3 की माता व प्रार्थी 4 की पत्नी गीता स्व. छीतर की पुत्री है। गीता का विवाह लगभग 50–60 वर्षो पूर्व हो गया है विवाह के बाद गीता अपने ससुराल में जीवनयापन करती थी। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीगण से मिलीभगत करके उक्त प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत करवाया है। गीमा अपने हिसे का मौखिक त्याग कर चुकी है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को स्वीकार किया है। उक्तानुसार यह तथ्य निर्विवाद है कि आराजी मुतनाजा प्रार्थी व अप्रार्थी की पुश्तैनी है। साथ ही मूल खातेदार छीतर पुत्र हालू की पुत्री गीता के प्रार्थीगण वारिस है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पुश्तैनी भूमि पर पुत्र व पुत्री का बराबर हक व अधिकार निहित है। आराजी मुतनाजा पर वर्तमान में गीता/प्रार्थीगण का नाम जरियें विरासत दर्ज नही किया गया। जबकि गीता छीतर की पुत्री होने के कारण उसका नाम भी आराजी मुतनाजा पर दर्ज होना चाहिये था। प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व होता है।

2. <u>अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना</u> :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। ... आराजी मुतनाजा उभयपक्ष की पुश्तैनी है। गीता छीतर कर पुत्री है। वत्रमान में भूमि ... के नाम दर्ज नही है। प्रकरण विचारण के दौरान आराजी मुतनाजा ... अन्यत्र किया गया है। भूमि को संरक्षित रखना न्यायोचित है। ऐसी ... में अपूरणीय क्षति की संभावना भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:15:07 IST
Reason: SelfAttested

––4

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व नही होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थीगण सिद्व होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

**आदेश** :– अतः ग्राम हाथीपटटा की उक्त आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरियें अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता हे कि आराजी मुतनाजा के राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनाये रखे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:15:07 IST
Reason: SelfAttested